संख्या-41/2017/5972/26-3-2016-2502/2012

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2017

विषयः-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा-खीरी में बास्केटबाल एवं वालीबाल मैदान के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-255/50/ज.जा.वि.2016-17, दिनांक-22.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "4225-02-796-01-0104-24-वृहद निर्माण कार्य" में प्राविधानित धनराशि रूपया-1335.60 लाख (रूपया तेरह करोड़ पैंतिस लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा-खीरी में बास्केटबाल एवं वालीबाल मैदान के निर्माण हेतु रूपया-9.00 लाख (रूपया नौ लाख मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को दी जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुरूप कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि उन्ही कार्यो हेतु व्यय की जायेगी जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग एवं कार्य के भौतिक प्रगति की सूचना महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराने के साथ-साथ फोटोग्राफ्स सहित सूचना शासन को भी दी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के.100प्रति $रा.0प्रति)-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-41/2017/आर-5972(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडकों, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।